सत्यमेव जयते

इंडियनऑयल

IndianOil

समझौता ज्ञापन

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

और

भारत सरकार

(पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय)

के बीच

2025-26

के लिए

मुख्य प्रतिलिपि

(29.08.2025)

परिधि: समेकित

उद्देश्य, उत्तरदायित्व तथा शासकीय ढांचा:
सीपीएसईज़ के प्रदर्शन मूल्यांकन हेतु डीपीई के एमओयू ढांचे के अनुसार निर्धारित।

वर्ष 2025-26 हेतु पैरामीटर-वार वार्षिक लक्ष्य

भाग-I : मुख्य मापदंड

क्र.सं.	मापदंड का नाम	यूनिट	अधिमान	लक्ष्य 2025-26
1.	बाजार बिक्री मात्रा की प्राप्ति	एमएमटी	9	114.61
2.	कच्चा तेल थ्रूपुट	एमएमटी	20	94.389
3.	ईबीपी के अंतर्गत इथेनॉल सम्मिश्रण %	%	8	20
4.	आरओ में सीएनजी स्टेशन चालू करना	संख्या	1	200
5.	बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों या ईवी चार्जिंग स्टेशनों को चालू करना	संख्या	1	500
6.	अपना घर आरओ की स्थापना	संख्या	5	240
7.	घरेलू पीएनजी कनेक्शनों की संख्या में वृदधि	संख्या	1	1,30,000
8.	ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित कार्य का प्रदान	के टी ए	2	10
9.	गल्फ देशों के बाहर से स्पॉट खरीद में एलपीजी आपूर्ति के स्रोतों का विविधीकरण	%	1	25
10.	पूंजीगत व्यय	रुपए करोड़ में	10	35,597
11.	ईबीआईटीडीए (कुल आय के प्रतिशत के रूप में)	%	4	7.08
12.	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	%	4	18.64
13.	परिसंपत्ति कारोबार अनुपात	%	12	183.49
14.	जेम के माध्यम से खरीद (कुल खरीद का प्रतिशत के रूप में)	%	2	41
15.	अनुसंधान एवं विकास पर व्यय (नवाचार पहलों सहित, पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ-कर पूर्व प्रतिशत के रूप में)	%	5	1.67
16.	शेयरधारकों को कुल प्रतिलाभ	%	15	100
		कुल	**100**	

भाग-II : अनुपालन मापदंड

क्र.सं.	मापदंड	अंक	स्रोत / सत्यापन
1.	सीएसआर व्यय पर डीपीई दिशानिर्देश	-1	बोर्ड प्रस्ताव / वार्षिक रिपोर्ट और डीपीई के सीएसआर सेल से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
2.	कंपनी अधिनियम, 2013 (या सूचीबद्ध संस्थाओं के मामले में सेबी (LODR) विनियम) में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित प्रावधान जैसे: (i) निदेशक मंडल की संरचना (ii) बोर्ड समितियाँ (iii) बोर्ड और समितियों की बैठकें आयोजित करना (iv) संबंधित पक्ष लेनदेन (v) प्रकटीकरण और पारदर्शिता	-3	कैग/वैधानिक/सचिवीय ऑडिट रिपोर्टों/वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर -प्रशासनिक मंत्रालय
3.	सभी परिचालन TReDS प्लेटफॉर्म पर सीपीएसई का ऑनबोर्डिंग	-0.5	एमएसएमई संबंध / TReDS पोर्टल
4.	एमएसई विक्रेताओं को समय पर भुगतान जैसा कि MSMED अधिनियम में निर्धारित है	-3	एमएसएमई समाधान / TReDS पोर्टल / वार्षिक रिपोर्ट या किसी अन्य प्रामाणिक स्रोत के आधार पर - प्रशासनिक मंत्रालय
5.	कुल खरीद का प्रतिशत के रूप में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, निम्नलिखित से: क. कुल एमएसई - 25% ख. एससी/एसटी स्वामित्व वाली एमएसई - 4% ग. महिला स्वामित्व वाली एमएसई - 3%	-2	एमएसएमई संबंध पोर्टल / वार्षिक रिपोर्ट / पीई सर्वेक्षण
6.	सीपीएसई में मानव संसाधनों के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुधार के लिए उठाए गए कदम और पहल	-1	बोर्ड प्रस्ताव के आधार पर - प्रशासनिक मंत्रालय (लक्ष्य प्रशासनिक मंत्रालय दवारा निर्धारित किए गए हैं)
7.	एमसीए की पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत लक्ष्य	-1	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और/या बोर्ड प्रस्ताव दवारा प्रशासनिक मंत्रालय / वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर
8.	नेतृत्व विकास योजना	-1	नीति प्रभाग-II / डीपीई और/या प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर
9.	अधिशेष गैर-प्रमुख संपत्ति (भूमि एवं भवन) के मौद्रीकरण की योजना	-1	निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से प्रस्तुत योजना के अनुसार- डीपीई

टिप्पणी:

1. अनुमानों/प्रक्षेपणों के आधार पर तय किए गए लक्ष्य, लेखापरीक्षित आंकड़े प्राप्त होने पर डीपीई दवारा संशोधन के अधीन होंगे।
2. पैरामीटर (हानि/व्यय में कमी को छोड़कर) का मूल्यांकन लक्ष्य की 50% से 100% उपलब्धि के बीच आनुपातिक अंकन के आधार पर किया जाएगा। 50% से कम उपलब्धि पर शून्य अंक दिए जाएंगे, सिवाय 'शेयरधारकों को कुल प्रतिलाभ' पैरामीटर के, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो।अनुसंधान/नवाचार पहलों पर खर्च के लक्ष्य की प्राप्ति की पुष्टि वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर की जानी चाहिए।
3. कुल अंक अनुपालन मापदंड को पूरा करने पर निर्भर करेंगे। अनुपालन न करने की स्थिति में, जैसा दर्शाया गया है, पूर्ण अंक काट लिए जाएंगे, जिसमें आंशिक या अनुपातिक कटौती नहीं होगी।
4. विनिमय दर, कच्चे माल या तैयार माल के नियामक मूल्यों में बदलाव, मार्जिन में कमी या किसी अन्य कारण से लक्ष्यों या उपलब्धियों में कोई समायोजन नहीं किया जाएगा।
5. पूंजीगत व्यय के लक्ष्य, बजट व्यय प्रोफ़ाइल के स्टेटमेंट 26 (सार्वजनिक उदयमों में निवेश) के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। पूंजीगत व्यय के संशोधित अनुमान को उपलब्धि के मूल्यांकन और अंक निर्धारण के लिए अंतिम लक्ष्य माना जाएगा, बशर्ते न्यूनतम लक्ष्य ₹100 करोड़ हो।
6. शेयरधारकों को कुल प्रतिलाभ का लक्ष्य 100% निर्धारित किया गया है, जिसका मूल्यांकन वित्तीय वर्ष के अंत में गणना किए गए मानकों के आधार पर, एमओयू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

वर्ष 2025-26 का समझौता-ज्ञापन पर एतददवारा सहमति दी जाती है और अगस्त 2025 की 29 तारीख को ई-हस्ताक्षर किया गया हैं।

ए एस साहनी
अध्यक्ष
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड

पंकज जैन
सचिव
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार